Kotak Bank gets RBI nod to trim stake of promoters

Mumbai, 19 February

Private sector lender Kotak Mahindra Bank Wednesday informed stock exchanges that the Reserve Bank of India (RBI) had given final approval to the bank's proposal on reducing promoters' stake and capping their voting rights.

"Further to our intimation dated January 30, 2020, please note that the Reserve Bank of India has granted its final approval vide its letter dated February 18, 2020 in the matter relating to dilution of promoters' shareholding in the bank." the bank said in a statement.

The RBI had conveved to the bank on January 29 that its promoters would have to bring down their shareholding to 26 per cent of the paidup voting equity share capital within six months of getting its final approval.

According to RBI rules, the bank was mandated to reduce promoter shareholding to 20 per cent by December 31, 2018, and to 15 per cent by March 2020. This has been relaxed.

Promoters, led by Managing Director and Chief Executive Officer Uday Kotak, owned 29.96 per cent of the share capital as of December 2019. However, the promoters' voting rights will stand curtailed. RBI said the promoters would have 20 per cent of the paid-up voting equity share capital until March 31, and it would be brought down to 15 per cent from April 1. The bank had withdrawn a petition filed in the Bombay High Court against the regulator last month. In December 2018, it had moved the HC against the RBI after the central bank did not accept the reduction of promoter shareholding via an issue of perpetual non-convertible preference shares.

Disclosure: Entities controlled by the Kotak family have a significant holding in Business Standard Pvt Ltd

MPs' panel for dilution of default definition, but RBI flags concerns

The committee sought softening of default criteria stance which restricts banks from financing low-rated firms

SHRIMI CHOUDHARY New Delhi, 19 February

he Reserve Bank of India (RBI) has shown its reservation on reviewing the definition of default.

This is a key parameter for credit rating agencies (CRAs) to assign ratings to commercial papers of corporates, even as a parliamentary panel insisted on relaxing the norms.

The parliamentary committee on subordinate legislation, in a meeting held on Monday, had raised the issue with regulators and the ministry of finance. It sought to soften stance on default criteria which restrict banks to finance low-rated firms.

Further, such classification of firms into the default category also prohibits them from coming out with debt papers.

The commercial or debt paper is the favourite route of corporates to raise funds when compared with loans from banks. They help meet shortterm working capital require-

Sources said companies once categorised in the "default" or "poor" ratings category do not get finance from banks.

People who attended the meeting are learnt to have cited certain examples where companies are on the verge of collapse due to the strict approach by banks. Besides RBI, the meeting was also attended by officials from the Securities and Exchange Board of India (Sebi), department of financial services, public sector banks and rating firms.

The meeting also highlighted the whole rating process and time to come back to investment discussed how once the instru-



Sources say companies once categorised as 'default' or 'poor' rating category do not get finance from banks

ment of a company gets downgraded, it takes time to upgrade

A rating takes at least a year's grade from default status.

According to the CRA guidelines, BB and below ratings are considered speculative grading

and above BBB is considered

investment grade. The RBI

guidelines deal with the defini-

tion of curing period, while the time-frame of curing are under

Based on the RBI guidelines, the capital market regulator, too, has definition of default across various instruments.

For instance, in case of term loans, working capital loans, bonds, fixed deposits, certificate of deposits and commercial paper, a default is said to have occurred if there has been a delay of even one day of even one rupee (of principal or interest) from the scheduled repayment date. For buyer's credit, packing

credit and bill purchase overdue of over 30 days is considered default. Rating agencies normally follow a rating scale that ranges from AAA (highest safety regarding timely servicing of debt) to D (default or expected to default soon).

largely

According to the man-

date given by the gov-

Rating agencies have been largely blamed for their lax policies and oversight for the 2008 global financial crisis.

This primarily spawned from junk-type mortgage bonds and their derivatives worth trillions of dollars that the Wall Street bankers invented and hawked across the globe to get AAA ratings and finally imploded. In the IL&FS matter, rating agencies India Ratings, ICRA and CARE had given its debt papers AAA/AA+ ratings a month before it defaulted in September 2018.

In the 25th edition of the Financial Stability Report (FSR), the RBI warned of rating shopping by companies for longterm bank loans.

This is based on indicative ratings given by CRAs which are not available to banks or

Gujarat HC sends notice to Centre over input tax credit on gifts

The Gujarat High Court has issued notices to the Centre, state government, GST Council, and indirect tax board in a case related to denial of input tax credit on gifts or free samples given by companies.

A petitioner sought declaration of the section 17 (5) (h) of the Central GST Act and associated circular as unconstitutional to the extent that it restricts input tax credit on gifts and free samples. The section provides a list of items where input tax credit cannot be given such as rent a cab. However, the section does not mention gifts and samples.

As the confusion arose whether the credit would also be blocked for gifts and free samples, firms, including pharma ones, approached the government for clarification.

The CBIC came out with a circular in March, which stated samples that are supplied free without any consideration do not qualify as supply under the GST.

INDIVIAL DHASMANA

Focus on core or headline inflation? RBI must debate

target of 4% is

ANUP ROY

Mumbai, 19 February

As the Reserve Bank of India (RBI) engages in an internal review of the monetary policy framework, economists are of the view that there is scope for certain fine-tuning, especially in fixing the level of inflation that would be consistent with the potential output of the country.

Besides, whether monetary policy committee (MPC) should focus on core inflation or the headline inflation consisting **VEV** of fairly unstable food and fuel prices should also be debated, economists say.

out the potential output of the economy itself is a difficult task to begin with. But the general consensus is it should be the level where the capacity utilisation hits near about 85 per cent, or crosses it, from the present mist of IndusInd Bank, differs on

ANALYSIS

be a debate whether the framework should follow single policy objective or multiple. In every aspect though, economists are divided on the right approach.

State Bank of India (SBI) group Chief Economic Advisor Soumya Kanti Ghosh said the MPC cannot afford to only have inflation as the objective. There should be multiple objectives, with growth mandate firmly embedded in it.

> "The mandate for the MPC is a little restricted. There is a clear distinction between the MPC and the RBI now. Targeting inflation

However, the issue here is finding cannot be the sole mandate in a country like India. It is something for the developed country where growth is not a concern anymore," said Ghosh. But Gaurav Kapur, chief econo-

low-70 per cent level. There can also that. "India had multiple indicator tee approach. However, three memapproach before the MPC, but it did not produce desired results. A monetary policy has to be clear and clearly stated and communicated. Monetary policy globally is getting the policy framework has served the limited in its ability to

push growth, as the central banks tinker with other macroprudential tools," Kapur said.

side with the latter's thinking. "Multiple objectives are not a good thing. They confuse the mar-

wanting to be quoted.

In August, the three-year tenure of external members in the MPC also comes to an end. Economists say they see no reason for a change among the members as they showed

independence and offered divergent

views, in the true spirit of a commit-

bers being from the RBI itself means it is always the view of the central bank that gets translated into action. It is, however, the consensus that

country well, as in the Some economists say three and half years of the MPC should be it being in the operaallowed to keep tion, inflation has inflation at a slightly remained Generally, economists higher level than under control except what the present for the latest prints.

ernment, the RBI has kets," said a senior economist not to maintain inflation at between 2 and 6 per cent, with the mid-point at 4 per cent.

Economists have also varied opinion about whether a 4 per cent inflation is good enough.

According to Kapur of IndusInd, there is a scope to lower the inflation

Inflation globally is going down, food and fuel shocks are essentially shortterm. The oil dynamics globally have changed in our favour as supply has outstripped demand, and the fossil fuel concerns will keep oil prices under check," Kapur said, adding the weightage given to food in inflation needs some revision, but that is not a task of the RBI.

According to Kapur, 3.5-4 per cent level for CPI is a healthy target to maintain for the MPC.

However, some other economists say the MPC should be allowed to keep inflation at a slightly higher level than what the present target of 4 per cent is.

"A slightly higher level of inflation for a developing economy is actually good. It improves the nominal growth and improves tax col-

that appropriate to go with India's potential growth rate. The bigger question here is whether the MPC should target headline inflation at all, or just focus on the core," said the economist quoted above. They say it won't be an easy task

for the RBI to review an established framework. The central bank will have to calculate the neutral rate, the global environment, unemployment rate, wage growth and outsized geo-political risks that pop up frequently. They have to consider currency

movement, and an ideal exchange rate. Economists say the growth and inflation tradeoff is no longer operative because of the central bank interventions.

Instead, the RBI must consider that apart from the headline inflation, inflationary expectations and lections for the government. inflation as cost of funds are also Inflation at 4 per cent may not be assuming an equal importance.

PUBLIC NOTICE

Commodities LLP by the Clearing Corporation (NCCL) vide its circular no. NCCL/ENFORCEMENT-001/2020 dated February 12, 2020, the following members have been declared as defaulters by National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX) w.e.f February 13, 2020.

Sr. No.	TMID	SEBI Registration Number	Name of Member	Date of declaration as defaulter	Member's Correspondence Address
1	493	INZ000024735	Dita Comtrade Limited	February 13, 2020	A-28, 1st floor, Jhilmil Industrial Area, Delhi – 110095
2	1208	INZ000091821	Kunjal Trade Commodities LLP	February 13, 2020	106, 1st Floor Bansi Trade Center, 581/5, M G Road, Indore, Madhya Pradesh -452001

The constituent(s) of the above mentioned defaulter member entities are hereby advised to lodge their claims, if any against the said defaulter member(s) within 90 (ninety) days from the date of this notification. All complaints/claims received by the Exchange against the above named entities will be dealt with in accordance with the directives of the SEBI and Rules, Bye-Laws, Regulations and procedures of the

As per the directives of the SEBI/Exchange, the maximum compensation limit for Investor, if payable out of Investor Protection Fund is Rs. 2.5 lakh per client (or as approved by IPFT from time to time) The constituents may write to Ms. Shilpa Desai, Vice President, ISC department

National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. Ackruti Corporate Park, LBS Marg, Kanjurmarg (W), Mumbai 400 078 or email at ig@ncdex.com.

For National Commodity and Derivatives Exchange Ltd Sd/-Date: 20.02.2020 Enforcement

LINEAR INDUSTRIES LIMITED (UNDER LIQUIDATION)

Regd. Office: 116, 11th Floor, Plot-223, Maker Chambers-III, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 NOTICE OF FINAL GENERAL MEETING OF MEMBERS / CONTRIBUTORIES

Pursuant to the Rule 4 of the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Second Amendment Rule, 2017) issued vide Notification bearing No. GSR 732 (E) dated 29th June 2017 and pursuant to the then provision of Section 496 of the Companies Act, 1956, NOTICE is hereby given that a meeting of the Members / Contributories of Linear Industries Limited under Liquidation ("the Company") will be held on Tuesday, 24th March, 2020 at 05.00 P.M. a Kilachand Conference Room, 2nd floor, Indian Merchant Chamber (IMC) Building, IMC Marg Mumbai – 400 020, to transact the business as set out in the General Meeting notice.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, copies of the Notic convening the General Meeting have been dispatched by permitted mode to the Members Contributories of the Company on 17th February 2020. These documents are also available or the Company's website www.linearindustries.in.

Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of th Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Compani has entered into an agreement with the Central Depository Services (India) Limited ("Agency" and is pleased to provide its Members, the facility of "remote e-voting" by using an electronic voting system on all the resolutions proposed to be considered at the General Meeting The e-voting period commences on Saturday 21st March 2020 from 09.00 A.M. and ends of

Monday 23rd March 2020 at 05.00 P.M. The remote e-voting shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Monday, 23rd March, 2020. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on Tuesday, 17th March, 2020 being cut-off date shall

be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the meeting. The facility for voting through Ballot shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote

e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Date: 18th February, 2020

Mr. Himanshu S. Kamdar, Partner of M/s. Rathi & Associate, has been appointed as scrutinize for conducting the Evoting process and to scrutinize Evoting and physical ballot voting facility to be provided at the General Meeting of the Contributories in fair and transparent manner. In the case of any, queries, contact Manager, CDSL, you may also refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of http://www.evoting.com or contact CDSL at their toll free no 1800-200-5533 or Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com

FOR LINEAR INDUSTRIES LIMITED

RAJESH I. SHAH

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM

CORRIGENDUM NOTICE

LETTER/MEMO NO. & DATE: Ch-8/XEN/Plg/B-629 dated 12.02.2020 NAME OF DEPT./BOARD/CORP./AUTH: UHBVN OLD REFERENCE/NIT/ TENDER NO.: NIT No. 286/P&D/2020 (Bid No

NATURE OF CORRIGENDUM: CORRIGENDUM-II Date of closing of E-tender: 27.02.2020 upto 17:00 Hrs., Date of opening of E-tender

WEBSITE OF THE DEPT./BOARD CORP./AUTH: www.uhbvn.org.in NODAL OFFICER/CONTACT DETAIL/EMAIL: CE/PD&C, UHBVN Panchkula, Ph. No. 3019140, E-mail: cepdc@uhbvn.org.in xenipds@uhbvn.org.in

79914 Stamp and Signature of the issuing Authority

FACT THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED FACT UDYOGAMANDAL COMPLEX, UDYOGAMANDAL- 683501, KOCHI, KERALA

E-mail: selvaganesh@factltd.com/riyas@factltd.com; Website: www.fact.co.in Phone: 0484-2568375 I 2568352

NOTICE INVITING TENDERS Online competitive two bid tenders are invited for the following works. Through www.eprocure.gov.in only 1. Manpower supply for the overhauling of Machinery in Ammonia Complex-FACT-UC.

(Tender No: 03012/2 019 -2020/ E21034) 2. Overhauling of Process Air Compressor in Ammonia Complex-FACT-UC (Tender No: 03012/2019-2020/E21092) Last date & time for submission of above bids: 03.03.2020 at 11.00 hrs.

3. Providing Wheel mounted Loader (Front End Loader or Backhoe loader) at FACT-UC. (Tender No: 03043/2019-2020/E20989) Last date & time for submission of above bid: 09.03.2020 at 11.00 hrs. 4. Repair of Water Wall Tubes in KHI Boiler at Petro Plants of FACT-UC. (Tender No: 05061/2019-2020/ E21124) Last date & time for submission of above bid: 06.03.2020 at 11.00 hrs.

Any change/Extensions to this tender will be informed only through website and will not be published in newspaper sd/-DGM(P&P) UC



Central Bank Of India Chander Mukhi, Nariman Point Mumbai - 400021 Request for Proposal (RFP) for appointment of Merchant Banker to carry out the process for sale our stake in Cent Bank Home Finance Ltd ("CBHFL")

Central Bank of India invites bids from Merchant Bankers for sale of our Bank's stake in Cent Bank Home Finance Ltd. Last date of submission of bids is 28.02.2020 vide invitation document reference no. CO/ITB/2019-20/829 dated 20.02.2020. For further details, please refer Tenders" section of our Bank's website www.centralbankofindia.co.in better.



TENDER NOTICE

SIDBI invites sealed applications from eligible entities in response to its:

Request for Proposal for Selection of Service Provider for Fetching and Analysis of data from External Sources

For the RfP document please visit SIDBI website at www.sidbi.in or Central $Public\ Procurement\ Portal\ at\ \underline{www.eprocure.gov.in/cppp}.$ Addendum/Corrigendum/clarification, if any, will be published in the above

mentioned websites only. Applicants should refer to the same before final submission of the application. Last date for submission of applications is March 11, 2020.

TENDERS & NOTICES

GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED

NOTICE is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company which was scheduled to be held on Thursday, 20 February 2020 for considering payment of Interim Dividend for FY 2019-20 to the shareholders, is Record date will be informed separately at a later date.

For GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED

Veena Nair Company Secretary

SECURITIES

Place: Mumbai

Place: Mumbai Date: 19 January 2020



National Stock Exchange of India Ltd. 'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051

NOTICE Notice is hereby given that the following trading member of the National Stock Exchange of India Ltd. (Exchange) has requested for the surrender of its trading membership of the Exchange:

Sl.	Name of the	SEBI	Last Date for		
No.	Trading Member	Regn. No.	filing complaints		
L.	MEGHVARSHA	CM-INB230876837	April 20, 2020		

FO-INF230876837

PVT. LTD. The constituents of the above-mentioned trading member are hereby advised to lodge immediately complaints, if any, against the above mentioned trading member on or before the last date for filing complaints as mentioned above and no such complaints filed beyond this period will be entertained by the Exchange against the above mentioned trading member and it shall be deemed that no such complaints exist against the above mentioned trading member or such complaints, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints filed against the above mentioned trading member will be dealt with in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange / NCL. The complaints can be filed online at www.nseindia.com>Domestic Investors> Complaints>Register an E-complaint. Alternatively, the complaint forms can be downloaded from www.nseindia.com>Domestic Investors> Complaints>Register a complaint offline> Complaints against Trading Member or may be obtained from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional Offices.

For National Stock Exchange of India Ltd. Vice President Date: February 20, 2020 Compliance



यूको बैंक 🙌 UCO BANK Honours Your Trust

(A Govt. of India Undertaking)
Head Office – II, Department of Information Technology
3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata–700064 NOTICE INVITING TENDER

Request for Proposal (RFP) for Supply, Implementation & Maintenance of Software Solution for setting up Centralised

Forex Processing Centre –FXPC (Re-tendering) For any details, please refer to https://www.ucobank.com. Date:20.02.2020 Deputy General Manager (DIT, BPR & BTD)

Indiabulls Ventures Limited

(CIN: L74999DL1995PLC069631) Regd. Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001 Email: helpdesk@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240 Website: www.indiabullsventures.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that Indiabulls Ventures Limited ("the Company") has, on February 17, 2020, completed the dispatch of Notice to its all eligible Members, under Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of Chapter VII of the Companies (Management and Administration) Rules, $2014\,along\,with\,the\,Postal\,Ballot\,Form\,and\,a\,self-addressed\,postage\,pre-paid$ envelope, for seeking the consent of the members by way of Special Resolutions for the business set out in the Notice dated February 14, 2020, to be transacted by postal ballot which includes voting by electronic means.

In case a member desires to exercise vote by using e-voting as stipulated under Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting platform for the above through $\boldsymbol{\mathsf{KFin}}$ Technologies Private Limited ("KFINTECH"), the Registrar & Share Transfer Agent of the Company. The procedure for e-voting is available on the e-voting

website: https://evoting.karvy.com. Notice is further given that the e-voting will commence on Thursday, February 20, 2020 at 10.00 a.m. onwards and will continue till 5.00 p.m. on Friday, March 20, 2020. The e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Friday, March 20, 2020. Similarly the votes through physical postal ballot can be casted by sending back to the Company, the filled up and signed postal ballot forms, so as to reach the scrutinizer latest by $5.00\,\mathrm{p.m.}$ on Friday, March 20, 2020. Postal Ballot Form(s) received after 5.00 p.m. on Friday, March 20, 2020 will be strictly treated as invalid and voting whether by post or by

Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement including e-voting instructions and also the Postal Ballot Form (For those members who have not received the notice and/or the Postal Ballot Form) can be downloaded from the 'Investors' section' on Company's website: www.indiabullsventures.com or may apply to the Company and obtain

electronic means shall not be allowed beyond said date.

The Results shall be declared along with the Scrutinizers' Report latest by 7:00 p.m. on Saturday, March 21, 2020 at the Registered Office of the Company and shall also be placed on the Company's website www.indiabullsventures.com and on the website of KFINTECH i.e. www.kfintech.com and shall be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

In case of any gueries / grievance connected with the voting by postal ballot or electronic voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of https://evoting.karvy.com or contact KFINTECH at Telephone No.: 1800 3454 001 (Toll free) or Mr. Lalit Sharma, Company Secretary of the Company, at lalit.s6@indiabulls.com or at Telephone No. 0124-6681199.

> By Order of the Board For Indiabulls Ventures Limited

Place: New Delhi Date: February 19, 2020

Lalit Sharma Company Secretary

इन्डैग रबर लिमिटेड (CIN: L74899DL1978PLC009038) जी. कार्यालय : 11, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली—110017 फोन : 011—26963172 / 73 ई—मेल : info@indagrubber.com, वेबसाइट : www.indagrubber.com <u>सूचना</u>

. उंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अधीन और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियमावली 2015 के विनियम 42 तथा 43 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि बोर्ड ने 19 फरवरी, 2020 को संचलन द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से रू. 2/—प्रति अकिंत मूल्य के इविवटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2019—2020 के लिए रू. 1.50/— प्रति शेयर की दर से दूसरा अंतरिम लामांश घोषित किया है। ांश उन सदस्यों को दिया जाएगा, जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड यानी दिनांक 0। मार्च, 2020 में दिखाई देता है।

वास्ते **इंडैग रबर लिमिटेड** हस्ता /-

कम्पनी सेक्रेटरी

तिथि : 19 फरवरी, 2020 थान : नई दिल्ली

ÚICICI Bank

रिजस्टर्ड ऑफिस : आई सी आई सैंक टावर्स, नियर चकली सर्कल, पुराना पारय रोड, बड़ोररा – 390 007 कॉपरिट ऑफिस : आई सी आई सी आई बैंक टावर्स, बांड्रा-कुली कॉप्पलेक्स, मुंबई- 400 051. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड, 82, जनपथ, नई दिल्ली- 110001.

<u>सार्वजनिक सूचना</u> रतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड की ज्ञााखा **82 , जनपथ , न**इ दिल्ली-110001. जिसका पंजी त, कॉर्पोरेट एवं क्षेत्रीय कार्यालय ऊपर वर्णित है, में स्थित, निम्नलिखित सुरक्ष जमा लॉकर्स में किराया बकारा है।

जमा लाव	जमा लाकस म किराया बकाया है।						
क्रमांक	नाम	लॉकर नं॰	पता	देय राशि (रु.)	के बाद से बकाय किराया (महिनों में अवधि)		
1.	विनीता डी चौधरी		बी-4/2, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110023	4999	78		
2.	पार्वती जोशी	6630R0100028	ए-242, पंडारा रोड, नई दिल्ली-110003	2498	38		
3.	आनंद खेम्का	6630R0200077	फ्लैट नं० 101बी, ब्लॉक सी, विंडसर पैलेस 6-ए, आयरन, साइड रोड, बल्लीगंज, कलक्ता, कोलकाता- 700019	2258	52		
4.	प्रेम लता जैन	6630R0200145	3131ए, शंकर स्ट्रीट, सीता राम बाजार, दिल्ली-110006	3125	48		

आई सी आई सी आई बैंक ने पंजी त डाक एकनॉलेजमेन्ट के अंतर्गत शाखाओं में दर्ज उपरोक्त व्यक्तियों के अंति ज्ञात पते पर तीन बार किराये की उक्त बकाया राशि के संदर्भ में उन्हें उपयुक्त सूचना भेजी है।

सुरक्षा जमा लिकर के लिए आवेदन के नियमों एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए आई सी आई सी आई बैंक उक्त सुरक्षा जमा लिकर के लिए आवेदन के नियमों एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए आई सी आई सी आई बैंक उक्त शाखाओं में उपरोक्त सुरक्षा जमा लॉकर्स को उपयुक्त तारीख़ को खोलने जिनका की एक वर्ष से अधिक के बकार अधिशेष किराये के कारण उसके कन्टेन्ट्स को कस्टडी लेने का प्रस्ताव कर रहा है। आई सी आई सी आई बैंक लॉकर्स के कन्टेन्ट्स की बिक्री कर सकता है तथा उससे हुई प्राप्ति को बकाये किराये

ममायोजित कर सकता है। . ऐसे किसी भी व्यक्ति जिनका उक्त लॉकर्स के संदर्भ में कोई दावा हो, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इसकी तिथि से 30 दिनों के भीतर उक्त शाखाओं में सम्पर्क करें तथा उक्त बकाया राशि का भगतान करें ए

तदनुसार लॉकर्स के प्रति अपने दावे को स्थापित करें। आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड उक्त तीस दिन की अवधि के नोटिस की समाप्ति के बाद इन लॉकर्स व कन्टेन्ट्स की बिक्री के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

स्थान : दिल्ली तिथि :19-02-2020 (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड

Indiabulls इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

(CIN: L74999DL1995PLC069631)

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com, फोन:0124-6681199, फैक्स: 0124-6681240 वेबसाईट: www.indiabullsventures.com

डाक मतपत्र सुचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि तिथि 14 फरवरी, 2020 की सूचना पत्र में लिखित विशेष प्रस्तावित व्यापार के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु (जो कि मतपत्र या ई-वोटिंग से किया जा सकता है), **इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड** (कंपनी) ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 110 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम नं. 22 के अनुसार सुचना का प्रेषण मतपत्र एवं स्वयं संबोधित लिफाफे के साथ सभी योग्य सदस्यों को 17 फरवरी, 2020 को पूर्ण कर दिया है ।

जो सदस्य अपना मतदान ई-वोटिंग से करना चाहता हैं, जिसका प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम नं. 20 और सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 में है, उनके लिए कंपनी अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, मैसर्स केफिन टेक्नोलोजिज़ प्रार्डवेट लिमिटेड (केफिन्टैक) के माध्यम से ई-वोटिंग की व्यवस्था प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग प्रक्रिया ई-वोटिंग वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग गुरूवार, 20 फरवरी, 2020 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार, 20 मार्च, 2020 शाम 5 बजे तक जारी रहेगी । शुक्रवार, 20 मार्च, 2020 शाम 5 बजे के बाद ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी । अत: मतपत्र डाक के माध्यम से मतदान करने के लिए, पूर्ण तरह से भरा और हस्ताक्षरित मतपत्र, स्क्रटिनाईज़र को शुक्रवार, 20 मार्च, 2020. शाम 5 बजे तक भेजा जा सकता है । शुक्रवार, 20 मार्च, 2020 शाम 5 बजे के बाद ई-वोटिंग द्वारा मतदान की अनमति नही दी जाएगी ।

जिन सदस्यों को नोटिस और / या डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं, वे कंपनी की वेबसाईट www.indiabullsventures.com पर 'Investor' अनुभाग से नोटिस (ई-वोटिग निर्देशों सहित व्याख्यात्मक विवरण के साथ) तथा डाक मतपत्र पर्चा डाऊनलोड़ कर सकते हैं या प्रतिलिपि पाप्त कर ने के लिए कंपनी को लिख सकते हैं ।

शनिवार, 21 मार्च, 2020 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिणाम स्क्रुटिनाईज़र रिपोर्ट के साथ शाम 7 बजे तक घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाईट www.indiabullsventures.com और केफिन टेक्नोलोजिज़ प्राईवेट लिमिटेड यानी www.kfintech.com पर भी रखा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को स्चित किया जाएगा. जिसमें कंपनी के शेयर सूचीबध्द हैं।

वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न या शिकायत होने पर आम अंशधारकों के लिए 'अक्सर पछी जानेवाली प्रश्नावली ' (FAQs) या ' ई-वोटिंग पस्तिका ' (e-voting user manual) देख सकते हैं जो https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है, या केफिन्टैक को दूरभाष संख्या 1800 3454 001 पर या श्री. ललित शर्मा, कंपनी सचिव को lalit.s6@indiabulls.com पर या दूरभाष संख्या 0124-6681199 पर संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशद्वारा इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरित

स्थान : नई दिल्ली ललित शर्मा कंपनी सचिव दिनांक : 19 फरवरी, 2020

टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

CIN: L33301DL1988PLC033434

पंजीकृत कार्यालयः 106-107, अम्बादीप, 14, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाषः 011-41021297, वेबसाइटः www.timexindia.comँ, ई-मेल ः investor.relations@timex.com

पोस्टल बैलट की सचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (साथ में समय-समय पर इस संबंध में कोई भी संवैधानिक बदलाव अथवा पुनरधीनियम) तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 तथा इस तरह के अन्य लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुसार 30 जनवरी, 2020 के पोस्टल बैलट सूचना में यथा निर्धारित पार्टी लेनदेन से संबंधित एक साधारण प्रस्ताव के जरिए ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलट के माध्यम से टाइमेक्स इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के शेयरधारको

कंपनी ने उन सभी शेयरधारकों को जिनके नाम अंतिम तारीख यानी 31 जनवरी, 2020 तक कंपनी के सदस्यों वे रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा द्वारा प्रदत्त लाभभोगी स्वत्वाधिकारियों की सूची में उपलब्ध है एवं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी /डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के पास पंजीकृत हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा तथा जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है उन्हें स्वयं संबोधित डाक टिकट चिपका हुआ व्यवसायिक प्रत्युत्तर लिफाफे के साथ भौतिक प्रारूप पोस्टल बैलट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलट सूचना भेजने का कार्य 18 फरवरी, 2020 को सम्पन्न कर लिया है। उपरोक्त पोस्टल बैलट द्वारा लेनदेन किए जाने वाले व्यवसायिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोटिंग भी शामिल है कंपनी ने कंपनी के सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रावधान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवा नियुक्त की है। ई-वोटिंग की सुविधा लिंक https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। वोटिंग की अवधि, भौतिक पोस्टल बैलट तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रारूप में, सोमवार, 24 फरवरी, 2020 को सुबह 10.00 बजे (भामास) शुरू होगी एवं मंगलवार, 24 मार्च, 2020 को अपराहन 5.00 बजे (भामास) समाप्त होगी। इस अविध के दौरान कंपनी के शेयरधारकगण, जिनके पास संबंधित तारीख 31 जनवरी, 2020 (अंतिम तारीख) तक भौतिक प्रारूप में अथवा डिमैटरियलाइज्ड प्रारूप में कंपनी के शेयर उपलब्ध है, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके अथवा भौतिक पोस्टल बैलट के जरिए डाल सकते हैं। इसके उपरांत एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग का प्रारूप निशक्त कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति अंतिम तारीख तक शेयर धारक नहीं है वे इस सूचना को सिर्फ सूचना के उद्देश्य हेतु समझे निदेशक मंडल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग की प्रक्रिया के संचालन के लिए श्री नीलेश कुमार जैन, मैसर्स एन. के. जे. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, (सदस्यता सं. एफसीएस 5593, सीपी नं. 5233) को जांचकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया है। भलीभांति रूप से परिपूर्ण तथा हस्ताक्षरित पोस्टल बैलट प्रपत्र जांचकर्त्ता के पास मंगलवार. 24 मार्च. 2020 को अपराहन 5.00 बजे (भामास) बजे तक पहुंच जाना चाहिए। उक्त तारीख एवं समय वे उपरांत प्राप्त पोस्टल बैलट प्रपत्रों को सदस्य से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है के रूप में माना जाएगा।

जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वे उसे वेबसाइट www.timexindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा अपने पोस्टल बैलट प्राप्त करने संबंधी अनुरोध कंपनी के पास ई-मेल investor.relations@timex.com वे जरिए भेज सकते हैं अथवा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 3ई/7, अलंकित हाइट्स, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 के समक्ष लिखें एवं उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि हासिल करें। पोस्टल बैलट सूचना एवं वोटिंग के लिए निर्देशावलियां वेबसाइट www.timexindia.com पर भी उपलब्ध है।

पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा चेयरमैन अथवा चेयरमैन द्वारा अधिकृत अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बृहस्पतिवार, 26 मार्च, 2020 को अपराह्न 5.00 बजे (भामास) अथवा उससे पहले की जाएगी तथा उसकी सूचना बीएसई लिमिटेड को दी जाएगी तथा जांचकर्त्ता की रिपोर्ट के साथ उसे कंपनी की वेबसाइट यानी www.timexindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

पोस्टल बैलट अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत/प्रश्न रहने पर शेयरधारकों से श्री जे के सिंघला, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 3ई/7, अलंकित हाइट्स, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 से दूरभाष सं. 011-42541960/65, ई-मेलः rta@alankit.com अथवा पल्लवी माहन्ने (प्रबंधक), एनएसडीएल चौथी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, ईमेल evoting@nsdl.co.in दुरभाष : 1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कते टाइमेक्स ग्रप इंडिया लिमिटेड

RELIGARE I HOME

हस्ताक्षर स्थान : नई दिल्ली धीरत कुमार मृग्यू तारीख : 19/02/2020 जीएम -संविधिक एवं कंपनी सचिव

रेलीगेयर हाऊसिंग डवलेपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि. पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तत, राजलोक बिल्बंग, 24, नेष्ठक प्लेस, नई दिल्ली—110019 कॅरीय कार्यालय: प्रथम तत, प्रियस ग्लोबल टॉवर, ए—3, 4, 6, सेक्टर—126, नोएडा—201301

नीलामी / बिक्री सूचना

एतद्वारा **मेसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलेपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि.** (यहाँ आगे **"आरएचडीएफसीएल"** कहा गया है) को बंधक अचल संपत्तियों की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत नीलामी बिक्री कराने के लिए सूचित किया जाता है। जैसा वि अधोल्लिखित कर्जदार सूचना की तारीख जो कि सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नो टिस दिनांकित 19.06.2015 से 60 दिनों के अंदर ऋण राशियों को बैंक को पुनर्भुगतान करने में असफल रहा है।

जैसा कि बैंक ने अपने पास निहित शक्तियों के अनुसार अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 200: के नियम 8(1) के प्रावधान और सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत और इसके तहत प्रदत्त शक्तियों व प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति का 07.12.2016 को भौतिक कब्जा ले लिया।

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(2) के तहत ये कब्जा लेने से संबंधित नोटिस **बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी)** समाचार पृत्र में दिनांक 09.12.2016 और बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी) समाचार पत्र में दिनांक 09.12.2016 को प्रकाशित किया गया था

जैसा कि इसके बाद भी कर्जदार बँक को उपरोक्त राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहा है, बँक के प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित नियम व शर्तों पर इच्छुक खरीदारों से अधोल्लिखित संपत्ति/ओं के लिए मुहरबंद लिफाफे में निविदा सह नीलामी आमंत्रण की प्रक्रिया द्वारा अनुसूचित संपत्ति / ओं की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

कर्जदार का नाम और पता: श्री रविन्दर रावल और रमेश रावल और मुकेश रमेश, सभी निवासी– प्लॉट नं. 430, चौहान कॉम्पलैक्स, लाल कोठी गाउची, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा—121004 प्रत्याभूत ऋण (राशि रु. में): रु. 24,27,890.87/— (रुपये चौबीस लाख सताईस हजार आठ सौ नब्बे और सतासी पैसा मात्र) दिनांव

19.06.2015 को और भविष्य की ब्याज एवं लागतें

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
एच.नं.—40 खेड़ी गुजरान पार्ट—1, बल्लभगढ़ सोहना रोड, फरीदाबाद, हरियाणा—122103	₹. 19,50,000 / -	₹. 1,95,000 / -
(क) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 06 मार्च 2020 तक भेसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलेपमेंट फार्डनेंस कॉर्पोरेश-	लिमिटेड. प्रथम तल.	जीवाईएस टॉवर.

(ख) निविदा खोलनं/नीलामी की तिथि और स्थानः 09 मार्च, 2020 को समय पूर्वा. 11.00 बजे उपरोक्त पते पर

बिक्री के नियम एवं शर्ते

1) उपर्युक्त संपत्ति का पूर्ण विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। संपत्तियाँ / दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी से तिथि व समय तय कर देखे ज

2) इच्छुक निविदाकार मेसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग खवलेपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जारी और दिल्ली में आहरणीय डिमांड ड्रॉपट के रू ईएमडी के साथ अपनी निविदाएँ मृहरबंद लिफाफे जिस पर **'रिवन्दर रावल की संपत्ति की नीलामी/बिक्री के लिए निविदा'** शीर्षांकित हो, **06 मार्च, 2020** से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकृत अधिकारी को भेज दें। महरबंद निविदाएँ 09 मार्च 2020 को खोली जायेंगी और इसके के बाद पात्र निविदाकारों को प्राधिकत अधिकारी के विवेक से परस्पर बोली में भागीदार्थ

के साथ पेशकश मूला बढ़ाने का अवसर दिया जायेगा। 4) सफल निविदालार को मेसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलेपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जारी और दिल्ली में आहरणीय डिमांड डॉफ्ट

रूप में बोली राशि की 25% राशि (ईएमडी शामिल) उसी दिन जमा करनी होगी और सफल निविदाकार को शेष राशि बैंक दारा बिकी की पष्टि होने व तारीख से 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। ईएमडी और इच्छक निविदाकार द्वारा देय बिक्री मुल्य पर कोई ब्याज नहीं होगी। यदि सफल निविदाकार बिक्री की शर्ते पूरा करने में असफल रहता है या कोई चूक करता है तो ईएमडी जमा और बिक्री मूल्य की 25% राशि ''आरएचडीएफसीएल'' द्वारा जब्त ह

5) सफल निविदाकार को नगर निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण को देय सांविधिक देयों / करों / बिलों आदि सहित सभी प्रकार के व्ययों को स्वयं वहर . करता होगा और 'बिक्री सर्टीफिकेट' पंजीकरण के लिए देय शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क वहन करता होगा।

6) पेश संपत्ति में कोई अनमति प्राप्त करने / किसी प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने या प्रभावी अन्य किसी नियम के तहत या अन्य कोई बकाया जैर बकाया पानी कर, बिजली बिल, संपत्ति कर, अन्य प्रभार यदि कोई हो, के लिए बैंक किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

7) प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी पूर्व सचना के बिना कोई कारण दिए किसी या सभी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकारने/अस्वीकार करने/बिक्री क स्थगित या निरस्त करने का अधिकार होगा।

 "आरएचडीएफसीएल" के पर्ण ज्ञान व जानकारी में बेची जा रही संपत्तियों पर "आरएचडीएफसीएल" के अलावा किसी प्रकार का भार नहीं है। इच्छव पार्टियां संपत्तियों पर अपना स्वयं का निर्धारण कर लें और संतुष्ट हो लें। बैंक उपरोक्त संपत्तियों की उपयुक्तता/हक के संबंध में किसी प्रकार से कोड़ जमानत नहीं देता या अभ्यावेदन नहीं करता है।

1. किसी अन्य जानकारी के लिए उपर्यक्त पते पर श्री पवन गौर, मोबाइल नं, 9953815004, श्री इकरार खान चौहान, मोबाइल नं, 9999052906 को संपर

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी सूचना कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा उपर्युक्त राशि को अद्यतन ब्याज व सहायक व्ययों के साथ नीलामी की तिथि से पूर्व भुगता

करने के लिए अधिसचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त बंधक संपत्ति की नीलामी की जायेगी और बकाया देय यदि कोई हों की ब्याज /लागत सहि

वसली की जायेगी। दिनांकः 19.02.2020

प्राधिकृत अधिकारी मेसर्स रेलीगेयर हाऊसिंग डवलेपमेंट फाईनेंस कॉपॉरेशन लिम्टिड

इलाहाबाद बैंक

तो कपया उल्लेखित करें अन्यथा इसे हटा दें।

प्रबंधक, इंदिरापरम शाखा,

अधिक जानकारी और नियम और शर्तों के लिए, संपर्क करें:

इलाहाबाद बैंक

गाजियाबाद, आंचलिक कार्यालय: दिल्ली-एनसीआर

बिक्री सूचना यह ई-नीलामी ब्रिकी सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नीनर्माण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन (सरफेसी) अधिनयम 2002 नियम 8(6) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति है। यह नोटिस सार्वजिनक रूप से जनत और विशेष रूप से उधारकर्ती (कर्ताओं) और गारंटर (गारंटर)) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेख में अचल सम्मत्ति/यों गिरवी / प्रभारित / दृष्टिबंधक / गिरवी (इलाहाबाद बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के पास बंधक रखी थी। वित्तीर परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्नीनर्माण तथा प्रतिभृति हित हेतु निम्निलिखित सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा लेकर बैंक देयों के वसुली हेतु ''जैसे हैं जहां है आधार पर तथा जैसे हैं जो है आधार पर '' 27.03.2020 विक्रय की जायेगी। उधारकर्ताओं

गार्रीट्यों और बंधककर्ताओं से नीचे उल्लिखित राशि की वसूली। आरक्षित मूल्य का उल्लेख नीचे किया गया है और जमा किए जाने वाले सबसे कम पैसे का उल्लेख क्रमश: किया गया है। की ई-नीलामी

श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा की अचल सम्पत्ति जो सम्पत्ति नम्बर-एफ-03, सम्पूर्ण ग्राउण्ड फ्लोर, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110095 में स्थित 57.50 वर्ग गज है जो 27 मार्च 2020 को 11:00 बजे प्रात: सरफेसिय

भधिनियम 2002 के तहत बेची जायेगी।

अचल संपत्ति का विवरण:-	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग जो सम्पर्त्ति नंबर एफ-03, सम्पूर्ण ग्राउंड फ्लोर, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली -110095 में स्थित 57.50 वर्ग गज है जो
	श्रीमती सीमा शर्मा के नाम पर है। उत्तर: संपत्ति एफ-2, 2. दक्षिण: फ्लैट नं. 4, 3. पूर्व: सड़क 40 फीट चौड़ी या पार्क, 4. पश्चिम: सड़क 18 फीट चौड़ी
	·
भार का विस्तार, स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि, बिजली, संपत्ति कर,	श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा के पक्ष में पूर्वोक्त संपत्ति के लिए किए गए विक्रय विलेख को हमारे पास गिरवी रख दिया गया था और इसे ''जैसे
नगरपालिका, आदि। यदि बैंक को कोई ज्ञात हो:	हैं जहां है आधार पर तथा जैसे हैं जो है आधार पर'' के रूप में बेचा जाएगा। स्थानीय सरकार, बिजली, संपत्ति कर, नगर निगम, आदि का बकाया बैंक को ज्ञात नहीं है।
उधारकर्ता (ओं) का नाम:	मैसर्स महक साड़ी हाउस (प्रोप. शशांक शर्मा) पता: एफ -12, झिलमिल कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली -110095
गारंटर / गिरवीकर्ता(ओ) का नाम:	1) श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा पता: ई-38, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली -110095
सुरक्षित ऋण की राशि	रुपये 30,94,133.12 (केवल तीस लाख चौरनवे हजार एक सौ तैतीस और बारह पैसे केवल) + ब्याज और अन्य खर्च बैंक के बकाए की वसूली तक
आरक्षित मूल्य	रु .44,00,000.00 (केवल चौवालीस लाख रुपए)
बयाना राशि	रु .4,40,000.00 (केवल चार लाख चालीस हजार रुपए)
अंतिम समय और पंजीकरण / केवाईसी दस्तावेज सत्यापन / ईएमडी राशि के	नीलामी की तारीख और समय से पहले बोली लगाने वाले के ग्लोबल वॉलेट में पंजीकरण और ईएमडी हस्तांतरण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए।
हस्तांतरण के लिए ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में पोर्टल में इच्छुक बोलीदाताओं /	असीमित विस्तार के साथ 27/03/2020 को 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक। बोली वृद्धि राशि 10,000/- रुपये
खरीदारों के लिए स्थानांतरण	-
ई-नीलामी की तिथि और समय	लाग् नहीं है
सुविधा केंद्र (बिक्री के तहत चार्ज की गई संपत्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है	

Ph :- 0120-2606185 E-mail: br.indirapuram@allahabadbank.in

ई−1, गौड़ ग्रीन एवेन्यू, अभय खंड−2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश−201014

चरण 1: बोलीदाता / क्रेता पंजीकरण: बोली लगाने वाले अपने मीबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल (ऊपर दिए गए लिंक)www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकरण करें चरण 2: केवाईसी सत्यापन: अपेक्षित केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोली लगाने वाला। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जा सकता है (2 कार्य दिवस लग सकते हैं)।

अधिक जानकारी और नियम और शर्तें डाउनलोड करने के लिए, कृपया यहां जाएं:

iii) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

वरण 3: ईएमडी राशि को उनके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित करना: एनईएफटी / ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन / ऑफलाइन हस्तांतरण, ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करना। चरण 1 से चरण 3 ई-नीलामी की तारीख से पहले, बोली लगाने वाले द्वारा अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।

(iv) https:// www.allahabadbank.in

i) https://eprocure.gov.in/epublish/app

दिनांकः 20-02-2020 स्थानः - इंदिरापुरम शाखा

ii) https://www.ibapi.in

स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

तिथि : 20 फरवरी, 2020



1/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

एतदद्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) और धारा 13(12) के सहपठित प्रतिभृतिकरण हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अतेगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित तारीखों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है और एतद्द्वारा कर्जदारों को कथित नोटिस प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर देय राशि का भुगतान करने की मांग की है।

कर्जदार और गारंटर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतदहारा कर्जदारों और गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उसे कथित अधिनियम की घारा 13 की उप–घारा (4) के सहपठित प्रतिमृतिकरण हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे तालिका में उल्लिखित तारीखों को निम्नलिखित परिसम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों, गारंटर और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी उसके देय राशि और उस पर ब्याज के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

Γ	कर्जदारों और गारंटर का नाम	बंधक / प्रभार पर रखी गई संपत्ति के विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख	कब्जे की तारीख	देय राशि
2	ए—3/126, पहली और दूसरी मंजिल, संक्टर—16, रोहिणी, नई दिल्ली—110085। अन्य पताः ई-5/31, संक्टर—16, रोहिणी, नई दिल्ली—110089) संजीव चौधरी सुपुत्र मगवान दास चौधरी (सह—कजंदार) ए—3/126, पहली और दमरी मंजिल संक्टर—16 रोहिणी नई	ए-3/126, पहली और दूसरी मंजिल पर छत् के अधिकार सहित, सेक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली—110088 में स्थित संपत्ति के सारे हिस्से और भाग का स्वामित्व कंचन चौधरी पत्नी संजीव चौधरी के नाम पर है, जिसका बिक्री विलेख दिनांक 30.10.2010 को दस्तावेज क्रमांक 4866 पुस्तक क्रमांक 1, संस्करण क्रमांक 3433 पृष्ठ संख्या 130 से 135 पर पुष्प-पंजीयक VI-C दिल्ली कार्यालय में पंजीकरण क्रिया गया है, इसका कुल क्षेत्रफल 62 वर्ग गजा है। पूर्व में: दक्षिण/लेन: 3.00 मीटर, परिचम में: 18 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर में: संपत्ति क्रमांक –125, दक्षिण में संपत्ति क्रमांक—124 से घिरी है।	06.08.2019	15.02.2020	31 जुलाई, 2019 तक रू. 19,49,8156.90 व्याज के साथ-साथ उस पर आगे के व्याज, खर्चों और अन्य शुक्कों आदि के साथ
- 1	दिनांकः 15.02.2020 🔻	स्थानः नई दिल्ली हस्ता	./-, प्राधिकृत [्]	अधिकारी, पंर	जाब एंड सिंध बैंक

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड सीआईएनः U65990MH2010PTC240703 वेबसाइटः homefirstindia.com फोन नं: 180030008425 ई—मेल आईडी: loanfirst@homefirstindia.com

मांग सूचना धारा 13(2) के तहत

आप अधोल्लिखित कर्जदार ने नीचे वर्णित अनुसूचित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और आप अधोल्लिखित ऋण करार के लिए कर्जदार / सह-कर्जदार जमानती बने हैं। आपके द्वारा की गई चुक के फल स्वरूप आपका ऋण खाता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 **(संक्षिप्त में सरफासी** अधिनियम) के प्रावधानों के तहत 03.02.2020 को अनर्जक आस्ति वर्गीकृत किया गया है। **हम होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** ने आपके द्वारा दिए पते पर सरफासी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी। पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजी गई सूचना बिना सुपुर्द हुए लौट आईं। उक्त सूचनाओं की विषय-वस्तु आपके द्वारा गारन्टिंड विभिन्न ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक है। इसलिए यह प्रकाशन सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार आपको सचना देने के लिए किया गया है:

खाते, कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) के नाम	प्रवर्तन की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
मेसर्स एएमआर	गांव– चिरखाना, उप तहसील–बहादुरपुर, अलवर,	03.02.2020	र्र.1,09,36,165 ∕ —
डवलेपर्स	राजस्थान स्थित भूमि खसरा नं. 353/0.39, 354/		दिनांक 03.02.2020
	$0.05,\ 355 \ /\ 0.23,\ 356 \ /\ 0.14,\ 357 \ /\ 0.14,\ 363 \ /\ 0.03,$		को और भविष्य की
	364 / 0.03, 365 / 0.03, 366 / 0.07, 367 / 0.03, माप 1.14 हेक्टेयर		ब्याज व अन्य व्यय
	ज्यान व नामन मनिन तम मनाम मनामान मे ०० निमें व	بند محدد	

आपको उपरोक्त राशि को ब्याज व लागत सहित इस सूचना प्रकाशन से 60 दिनों की अवधि अंदर **होम फर्स्ट फाइनेंस** कंपनी इंडिया लिमिटेड को भुगतान करने के लिए कहाँ जाता है, अन्यथा कर्जदरों, बंधककर्ताओं और जमानतियों की प्रत्याभृत परिसंपत्तियों के कब्जा लेने सहित एक या सभी प्रत्याभृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानो के तहत होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत होम फर्स्ट **फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** के पास (1) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पट्टे, एसाइमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित कर्जदारों / जमानतियों की प्रत्याभत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की शक्ति (2) प्रत्याभत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पट्टे, एसाइमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित प्रत्याभृत परिसंपत्तिये का प्रबंधन लेने की शक्ति है। **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के रूप में हस्तांतरण पर वह सभी अधिकार व संबंध निहित होंगे जो आपके द्वारा हस्तांतरण करने पर हस्तांतरित प्रत्याभृत परिसंपत्तियों पर निहित होते । उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार आप बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम से इतर) से यहां ऊपर उल्लिखित और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को रेहन / बंधक किसी प्रत्याभृत परिसंपत्ति को बिना **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** की सहमति के हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे।

(j) ICICI Bank

स्थानः अलवर, दिनांकः 20.02.2020

शाखा कार्यालय : 11वीं मॅजिल, ई-1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली-110055 **पंजीकृत कार्यालय** : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पदरा रोड, वडोदरा, गुजरात, पिन-390 007

हस्ताक्षरितः प्राधिकृत अधिकारी, **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड**

सार्वजनिक सूचना – अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु निविदा सह नीलामी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (''अधिनियम'') के तहत अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय

जबिक, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड .''आईसीआईसीआई बैंक'') के अधिकृत प्राधिकारी ने मैसर्स ठाकृजी ट्रेडिंग कम्पनी (''कर्जदार'' तथा ''बंधककर्ता 1''), सुश्री अंकिता गुप्ता (''साझेदार '', ''बंधककर्ता 2'' तथा ''व्यक्तिगत जमानती 1''), श्री अनिमेश गुप्ता (''साझेदार 2'' तथा ''व्यक्तिगत जमानती 2'') तथा श्री रितेश कुमार गुप्ता बंधककर्ता 3'' तथा ''व्यक्तिगत जमानती 3'') [सीएलजी : सुनिश्चित करने हेतु बीजी-सुनिश्चित] इसके पश्चात इन्हें सामृहिक रूप से ''सुचिती'' कहा जायेगा, से 31 जुलाई, 2018 तक बकाया राशि रु. 7,56,76,496.0 एवं भुगतान की तिथि तक उस पर भावी ब्याज, चूक/दण्डोत्मक ब्याज एवं अन्य प्रभारों को कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहते हुए 17 अगस्त, 2018 को [सीएलजी : सुनिश्चित करने हेतु बीजी-सुनिश्चित] एक माँग सूचना निर्गत की थी। सूचिती ने कथित माँग के अनुपालन की अवहेलना की।

नीचे वर्णित सम्पत्तियाँ **(''प्रतिभृत आस्ति'')** कर्जदार को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्वीकृत और प्रदत्त सुविधाओं के लिए दृष्टिबंधक/बंधक रखी गयी है जिसके विरुद्ध भावी ब्याज, चूर्क)दण्डात्मक ब्याज एवं अनुबन्ध दरों पर उस पर अन्य प्रभारों तथा भुगतान/वसूली तक चक्रवृद्धि ब्याज सहित 31 जनवरी, 2020 तक रु. 9,43,26,877.0 बकाया है।

तथा जैसा कि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('सरफाएशी नियम') के साथ पठित सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(4) एवं उसमें निर्मित नियमों के

यह अधिसूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण (''सरफाएशी अधिनियम'') के तहत प्रतिभृत आस्तियों की बिक्री हेतु प्रस्ताव आमन्त्रित कर रहा है। इच्छुक व्यक्तियों/भागीदारों से एतद्वारा आमन्त्रित प्रस्ताव हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से वेब पोर्टल https://icicibank.auctiontiger.net के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक कब्जे में निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति (जैसा कि नीचे अनुसूची में वर्णित है) की बिक्री हेतु निम्नलिखित विवरणों के अनुसार ''जहाँ है जैसे है'', ''जो भी है यही है'' तथा ''बिना किसी आश्रय आधार'' पर 09 मार्च, 2020 को 5:00 बजे अप तक जमा किये जाने हैं।

लॉट	प्रतिभृत आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	संविदा वृद्धि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा	
लाट सं.	प्रातमूत आस्तिया का विवस्प	जमा धरोहर राशि (''ईएमडी'') (रु. में)	राशि (रु. में)			करने की अन्तिम तिथि	
1.	फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. सी-195, निर्माण विहार, नई	5,11,24,777.0	2,00,000.0	०५ मार्च,	11 मार्च,	०९ मार्च,	
	दिल्ली-110092, माप 180 वर्ग गज की भूमि पर			2020 को 11:00 बजे	2020 को 10:00 बजे	2020 को	
	निर्मित, साथ ही भूमि से संलग्न अथवा भूमि से			पूर्वा05:00	प्रातः से	5 बजे अप. ——	
	स्थायी रूप से सम्बद्ध कोई वस्तु एवं उस पर स्थिथ			बजे अप.	12:00 बजे	तक	
	समस्त भवन एवं संरचननाएँ। सीमाएँ : पूर्व : मलिक				दोपहर		
	रेडिक्स अस्पताल, पश्चिम सड़क, उत्तर : प्लॉट सं.						
	196. दक्षिण : सडक।						

नियम एवं शर्तें : (1) और जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित प्रतिड्रात आस्ति को निस्तारित करने का निर्णय लिया है, यह बिक्री सुचना यह अधिसुचित करने के लिए आज प्रकाशित है कि उपर्युक्त अनुसुची में वर्णिति के अनुसार प्रतिभृत आस्ति की बिक्री 11 मार्च, 2020 को (उपर्यंक तालिका में उल्लिखित समय के बीच) ऑनलाइन नीलामी हाग की जायेगी। (2) ऑनलाइन नीलामी नीलामी प्रजेन्सी अर्थाट https://icicibank.auctiontiger.net की वेबसाटि पर 11 मार्च, 2020 को 10:00 बजे पूर्वो. से 12:00 अप. के बीच प्रारम्झ होगी। ऑनलाइन नीलामी क संचालन मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शनटाइगर) के माध्यम से संचालित होगी और निविदा दस्तावेज में वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी जो वेबसाइट https://icicibank.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। (3) विशेष रूप से सूचितियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा कथित अधिनियम की धार 13(13) के सन्दर्ड़ा में उपर्युक्त वर्णित के अनुसार प्रतिञ्चत आस्ति के संव्यवहार न करने तथा निषद्ध करने की चेतावनी दी जाती है और प्रतिञ्चत आस्ति वे साथ कोई संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सूचिती(यों) द्वारा कर्ज के भुगतान/वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दरों फ लिक्विडेटेड क्षतियों उस पर अन्य प्रभारों सहित बकाया राशियों के लिए प्रतिभति आस्ति पर आईसीआईसीआई बैंक के प्रभार का विषय होगा। (4) **सचिती(यों**) को 31 जनवरी, 2020 तक कुल बकाया रु. 9,43,26,877.0 (रुपये नौ करोड़ तैंतालीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) तथा भावी ब्याज, लिक्विडेटेड क्षतियों एवं भुगतान/वसूली तक अनुबन्ध दरों पर 01 फरवरी, 2020 से प्रभावी अन्य प्रभारों ('**'बकाया राशि'')** का भुगतान करने का अन्तिग अवसर दिया जाता है। प्रतिभृत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में सूचिती(यों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। (5) रु. 51,12,478.0 की जमा धरोहर राशि (''**ईएमडी''**) एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेज एक मुहरबन्द लिफाफे में उस फ ''सी-195, निर्माण विहार, नई दिल्ली-110092 पर स्थित अचल सम्पत्ति तथा आईसीआईसीआई बैंक के पक्ष में बंधक के क्रय हेत श्री/सश्री/मैसर्स [] रं प्रस्ताव'' लिखकर इस प्रकार भेजे जाने अपेक्षित हैं कि वे श्री निलन पनेरा/विकास रुस्तगी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 11वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर्स झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली के पास **09 मार्च, 2020** को 5:00 बजे साय तक पहुँच जाएँ। डीडी/पीओ के माध्यम से ईएमडी किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसुचित बैंक से आहरित 'आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय होनी चाहिए। यदि संविदा सफल नहीं होती है तो ईएमडी प्रतिदेय है। (6) सफल संविदाकार को ईएमडी के रूप में जमा राशि को घटाकर प्रस्ताव राशि का 25% तुरन्त उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस, जैसा मामला हो आईसीआईसीआई बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा विक्रय की पुष्टि की प्राप्ति पर ^करनी होगी और शेष 75% राशि प्रतिभृत आस्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15वें दिन या उससे पर्व जमा करनी होगी. यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के पश्चात अगले कार्यकारी दिवस या क्रेता तथ प्रतिभत लेनदार (रों) के बीच लिखित सहमति के पश्चात किसी विस्तारित अवधि तक जमा करनी होगी जो प्रतिभत आस्ति की बिकी की पष्टि की तिथि से ती-माह से अधिक नहीं होगी। सफल सिंवदाकार की ओर से किसी चुक के मामले में ईएमडी सिहत तबतक जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। पेऑर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट 'आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड', दिल्ली में देव किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित होना चाहिए। खरीद मूल्य 50.0 लाख से अधिक होने वे कारण आयकर नियम के अनुसार नीलामी मूल्य का 1% टीडीएस सफल नीलामी क्रेता को वहन करना होगा। (7) यहाँ ऊपर उल्लिखित अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्ति के परिप्रेक्ष्य में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम सूचना और ज्ञान पर कहे गये हैं जो कथित विवरण में किसी त्रुटि, गलतंबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एतद्वारा निविदाकार(रों)/प्रस्तावक(कों)/सम्भावित संविदाकार(रों)/क्रेता(ओं) को अधिसचित किया जाता है कि कथित प्रतिभत आस्ति की बिक्री सम्पर्ण ऋणभारों तथा विधिक प्राधिकरण(णों) के बकायों (यदि कोई हो) के साथ की जायेगी और साथ उनके निजी हित में निवेदन किया जाता है कि वे अपनी संविदाएँ,निविदाएँ जमा करने से पर्व स्वयं को उपर्यक्त तथा उपर्यक्त प्रतिभत आस्ति से सम्बन्धित प्रासंगिक विवरणों के विषय ग सन्तुष्ट कर लें। (8) निरीक्षण, नीलामी के नियम एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री नलिन पुनेरा/श्री विकास रुस्तगी, आईसीआईसीआई बैंक के अधिकृत प्राधिकारी, सम्पर्क नं. : 8527393600/ 9650909285 अथवा nalin.punera@icicibank.com vikas.rustagi@icicibank.com पर लिखें या ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से सम्पर्क करें : +91 9374519754- 079 61200 598 / 554 / 594 / 587 / 559, Delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net (9) अधिकृत प्राधिकारी को किसी या सभी निवदाओं को अस्वीकार करने या बिना कोई सचना या कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार है। (10) किसी विधिक या अन्य देय बकाये तथा प्रतिभृत आस्ति पर बकाये का वहन प्रयोज्य नियमों के अनुसार सफल क्रेता द्वारा किया जायेगा। (11) यह उपर्युक्त तिथियों पर बंधक आस्तियों की बिक्री से सम्बन्धित सूचिती(यों) को सूचित करते हुए उन्हें नियमों के साथ पठित अधिनियम एवं उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार 15 दिवस की अनिवार्य सूचना भी है। (12) यदि अंग्रेजी तथा वर्नाक्यूलर भाषा में बिक्री सूचना के प्रकाशन में कोई अन्तर होता है तो ऐसी स्थित में अंग्रेजी समाचार पत्र को वर्नाक्यूलर समाचार-पत्र पर वरीयता दी जायेगी और इसे ही अन्तिम प्रति माना जायेगा, इस प्रकार सभी अस्पष्टताएँ समाप्त मानी जायेगी।

नियमों के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत विधिक 15 दिवसीय विक्रय सूचना

सूचिती(यों) को एक बार पुनः भावी ब्याज, तरलीकृत क्षतियों एवं भुगतान/वसूली तक अनुबन्ध दरों पर उस पर अन्य प्रभारों सहित उपर्युक्त राशि ई-नीलामी तिथि से पूर्व अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर प्रतिभूत आस्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई होगा उसे ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जायेगा। यदि किसी भी कारणवश नीलामी असफल हो जाती है तो बैंक सरफाएशी अधिनियम एवं नियमों के तहत प्रावधानों के अनुसार सृचिती(यों) को बिना कोई अन्य सूचना दिये निजी सन्धि अथवा नियमों के नियम 8 के उपनियम (5) के तहत प्रावधानित के अनुसार किसी अन्य साधनों अर्थवा अन्यथा रूप से उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा।

> ह./∙ अधिकत प्राधिकारी कृते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड